2007:CGHC:10405

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति एल.सी.भादू, एवं

माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीशगण

दांडिक अपील क्रमांक. 385/2002

छेदीन बाई बरेठ

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

विचारार्थ निर्णय

सही/-
(सुनील कुमार सिन्हा)

न्यायाधीश

माननीय श्री न्यायमूर्ति एल.सी. भादू

सही/-
(एल.सी.भादू)

न्यायाधीश

निर्णय हेतु दिनांक : 01/10/2007 को सूचीबद्ध

सही/-
(सुनील कुमार सिन्हा)

न्यायाधीश

2007:CGHC:10405

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक 385 / 2002

अपीलकर्ता

छेदीन बाई बरेठ, पत्नी- पप्पू @ नसीरुद्दीन, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी- ग्राम कालमेटार, थाना रतनपुर, वर्तमान पता- जबड़ापारा, जेलर बगीचा, ननकी बाई का बाड़ा, सरकंडा, जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी

छत्तीसगढ़ राज्य,

द्वारा जिला मजिस्ट्रेट बिलासपुर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत अपील)

उपस्थिति:

श्री के.के. सिंह, अपीलकर्ता के अधिवक्ता

श्री अशीष शुक्ला, शासकीय अधिवक्ता, राज्य/प्रत्यर्थी के लिए

(युगल पीठ)

माननीय श्री एल.सी. भादू एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीशगण

निर्णय

(01.10.2007)

निम्नलिखित निर्णय माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश द्वारा पारित गया:

(1) इस अपील के माध्यम से सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा दिनांक 9 मार्च, 2002 के दोषसिद्ध के निर्णय एवं दंड के आदेश, जिसमें सत्र प्र.सं. 31/2001 में न्यायालय द्वारा आरोपी/अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपराध का दोषी ठहराकर आजीवन कारावास की सजा दी गई, को चुनौती दिया गया है।

(2) संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि मृतक नसीरुद्दीन, अपीलार्थी छेदीन बाई का पति था। वे दोनों ननकी बाई (अ.सा.-4) के मकान में किराये पर रह रहे थे। मृतक नसीरुद्दीन ने अपीलार्थी छेदीन बाई से घटना के एक वर्ष पूर्व *चूड़ी* विवाह किया था। आरोप यह है कि एक विवाद के कारण, दिनांक 25.11.2000 को आरोपी छेदीनी बाई ने मृतक के शरीर पर केरोसिन तेल डालकर उसे आग लगा दी। मृतक को 85% तक जलने की चोटें आईं। उसे दिनांक 26.11.2000 को धरम अस्पताल, बिलासपुर में भर्ती कराया गया। उक्त घटना की सूचना संबंधित पुलिस थाना को दी गई, जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श.-पी/17) दर्ज की गई। मृतक का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत (प्रदर्श .-पी/20) लिया गया। घटनास्थल का नक्शा (प्रदर्श.-पी/18) के तहत तैयार किया गया। मृतक का एक अन्य कथन भी (प्रदर्श.-पी/11) के तहत लिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) जांच के दौरान, मृतक का चिकित्सीय परीक्षण किये जाने हेतु (प्रदर्श.-पी/6) के माध्यम से निवेदन किया गया। डॉ . एस.एस. भाटिया (अ.सा.-5) ने उनकी जांच कर रिपोर्ट (प्रदर्श.-पी/6(ए))तैयार किया। मृतक की चिकित्सा जांच के अनुसार, दोनों हाथों पर गहरी जलन थी। कई जगह छाले थे। त्वचा उखड़ी हुई थी, चेहरा, पेट और दोनों पैर सतही रूप से झुलसे थे। शरीर का 85% हिस्सा जल चुका था। चिकित्सक ने बताया कि मृतक को दिनांक 26.11.2000 को अस्पताल में भर्ती किया गया था, और उसकी चोटों का उल्लेख दाखिला पत्रों (प्रदर्श.-पी/7) में भी किया गया। मृतक की गंभीर स्थिति को देखते हुए, विवेचना अधिकारी ने मृतक का मृत्युकालीन कथन अभिलिखित करने हेतु दिनांक 2 6.11.2000 को एक ज्ञापन (प्रदर्श.-पी/8(ए)) तैयार किया, जिस पर कार्यवाही करते हुए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट श्री पी.एस. टोप्पो (अ.सा.-6) ने दिनांक 27.11.2000 को सुबह 8:45 बजे मृतक का मृत्युकालीन कथन (प्रदर्श.-पी/9) दर्ज किया।

(4) इलाज के दौरान, मृतक की मृत्यु दिनांक 29.11.2000 को बिलासपुर के धरम अस्पताल में हो गई, जिसकी सूचना अस्पताल प्रबंधकों द्वारा पुलिस को (प्रदर्श.-पी/19) के माध्यम से दिया गया। मृत्यु के उपरांत, थाना प्रभारी जिला अस्पताल, बिलासपुर गए और पंचो को (प्रदर्श.-पी/14) का नोटिस दिया एवं (प्रदर्श.-पी/3) के माध्यम से शव

का मृत्युसमीक्षा तैयार किया और शव को शव परीक्षण हेतु (प्रदर्श.-पी/1) के माध्यम से भेजा। शव-परीक्षण चिकित्सक टी.एस. श्याम (अ.सा.-1) द्वारा किया गया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श.-पी/1(ए)) तैयार किया और मत दिया कि मृत्यु का कारण सेप्टिसेमिक शॉक था, जो जलने के कारण हुआ।

(5) जांच प्रक्रिया के समाप्त होने के उपरांत, आरोप-पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर की न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर को उपार्पित किया। वहां प्रकरण का विचारण हुआ और अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषी ठहराकर दंडित किया गया, जैसा कि पूर्व में उल्लेखित है।

(6) अपीलार्थी की दोष सिद्धि और सजा मृत्युकालीन कथन (प्रदर्श-पी/9) के आधार पर हुई है, जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 27.11.2000 को दर्ज की गई थी।

(7) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि मृत्युकालीन कथन की सामग्री और उसे अभिलिखित किया जाना संदिग्ध हैं, अतः ऐसी कथन पर आधारित दोषसिद्धि को स्थिर नहीं रखा जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अधिवक्ता दोनों के तर्कों को सुना है।

(9) जहाँ तक मृत्युकालीन कथन का संबंध है, विधि यह है कि यह साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 60 में विस्तृत अनुश्रुत-साक्ष्य के सामान्य नियम का एक अपवाद है। मृत्युकालीन कथन को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने का सिद्धांत "नेमो मोरीतुरस प्रेसीमीतुर मेंटायर" नामक विधिक सूक्ति में निहित है—अर्थात "अपनी मृत्यु समीप जानकर कोई व्यक्ति अपने मुख से असत्य नहीं बोलेगा"। इसके अतिरिक्त, यदि मृत्युकालीन कथन को स्वीकार न किया जाए , तब इसका परिणाम न्याय की विफ़लता होगा क्योंकि गंभीर अपराध में पीड़ित ही सामान्यतः एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी होता है, ऐसे कथन का त्याग करने पर न्यायालय के पास कोई और साक्ष्य अंश नहीं बचता है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि मृत्युकालीन कथन को अत्यधिक महत्व मिलता है, किंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अभियुक्त को प्रतिपरीक्षा का अधिकार नहीं मिलता, जो कि सत्य को उजागर करने के लिए आवश्यक है। इसलिए, न्यायालय यह देखती है कि कथन इस प्रकार हो कि उस पर पूर्ण रूप से विश्वास किया जा सके। न्यायालय को यह आश्वस्त होना चाहिए कि कथन करने वाला (मृत व्यक्ति) किसी प्रेरणा या कल्पना या सिखाये-पढाये जाने पर कथन नहीं कर रहा है। न्यायालय को आगे यह भी संतुष्ट होना चाहिए कि मृत्युपरांत कथन विश्वसनीय है, और कथन करते समय मृत व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ था, तथा उसे अभियुक्त को पहचानने व पूरी तरह कथन देने का पर्याप्त अवसर था। एक बार यदि न्यायालय संतुष्ट हो जाए कि कथन सत्य और स्वेच्छया से दिया गया था, तो न्यायालय बिना किसी अतिरिक्त

संपुष्टि के केवल मृत्युकालीन कथन के आधार पर दोषसिद्धि कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यह विधि का कोई पूर्ण नियम नहीं है कि मात्र मृत्युकालीन कथन के आधार पर दोषसिद्धि तभी हो सकती है, जब उसकी अन्य साक्ष्य द्वारा संपुष्टि की गई हो। पुष्टिकरण की आवश्यकता का नियम केवल सावधानी का नियम है। ***[कृपया देखें (2005) 9 एस.सी.सी. 113, मुथु कुट्टी एवं अन्य बनाम पुलिस महानिरीक्षक, तमिलनाडु राज्य]***

(10) यदि हम इस दृष्टिकोण से मृत्युकालीन कथन का परीक्षण करें, तो यह प्रतीत होता है कि दिनांक 26.11.2000 को ही, जब मृतक को लगभग 85% जलने की चोटें आई थीं, चिकित्सक एस.एस. भाटिया (अ.सा. -5) ने (प्रदर्श पी /8) के माध्यम से विवेचना अधिकारी को सूचित किया कि मृतक का मृत्युकालीन कथन दर्ज कराने की व्यवस्था की जाए। इसके पश्चात ही, दिनांक 26.11.2000 को ही लगभग रात 8:00 बजे, थाना प्रभारी ने कार्यपालक दंडाधिकारी श्री पी.एस. टोप्पो (अ.सा. -6) को मृत्युकालीन कथन दर्ज करने के लिए अनुरोध पत्र भेजा। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त अनुरोध पत्र पर स्वयं चिकित्सक द्वारा 'ए' से 'ए' भाग पर यह प्रमाणन देखकर दिया गया कि मृतक कथन देने की स्थिति में है। तत्पश्चात, दिनांक 27.11.2000 को प्रातः 8:45 बजे, मृत्युकालीन कथन कार्यपालक दंडाधिकारी पी.एस. टोप्पो (अ.सा.-6) द्वारा जिला अस्पताल, बिलासपुर में दर्ज की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) पी.एस. टोप्पो, कार्यपालक दंडाधिकारी (अ.सा.-6) ने कथन दिया है कि उन्हें उक्त ज्ञापन दिनांक 27.11.2000 को प्राप्त हुआ था। उक्त ज्ञापन प्राप्त करने के बाद, वे जिला अस्पताल के बर्न यूनिट पहुँचे, जहाँ वे मृतक के पारिवारिक सदस्यों से मिले, परन्तु चिकित्सक से नहीं मिल सके। लगभग 8:45 बजे, उन्होंने मृतक का मृत्युकालीन कथन दर्ज किया। उन्होंने मृतक से उसका नाम पूछा, जिस पर मृतक ने अपना नाम नसीरुद्दीन तथा अपने पिता का नाम अमीनुद्दीन बताया, उम्र लगभग 30 वर्ष बताई और धर्म से मुसलमान बताया। इसके बाद उन्होंने मृतक से घटना के विषय में पूछा, जिस पर मृतक ने बताया कि घटना रात 8:00 बजे की है। घटना के दिन रात्रि में, वह घर में सो रहा था, तभी उसकी पत्नी छेदीन बाई ने उस पर केरोसिन तेल डालकर आग लगा दी। उसने यह भी कहा कि उसकी पत्नी का एक लड़के के साथ अनैतिक संबंध था, जो उनके घर के पास रहता था, परंतु वह उस लड़के का नाम नहीं जानता। कार्यपालक दंडाधिकारी ने आगे कहा कि मृतक के हस्ताक्षर इसलिए नहीं लिए जा सके क्योंकि उसके दोनों हाथ जल गए थे, जिसे उन्होंने मृत्युकालीन कथन में 'अ से अ' स्थान पर उल्लेखित किया है और ऐसा कथन लेने के पश्चात् उन्होंने 'स से स' स्थान पर अपने हस्ताक्षर किए।

(12) अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने तर्क किया है कि चिकित्सक का प्रमाणपत्र दिनांक 26.11.2000 को दिया गया था, जबकि मृत्युकालीन कथन दिनांक 27.11.2000 को दर्ज किया गया था, अतः ऐसा प्रमाणपत्र अभियोजन के लिए सहायक नहीं है, और मृतक की मन:स्थिती के संबंध में किसी त्वरित प्रमाणपत्र के अभाव में, मृत्युकालीन कथन की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।

(13) इस बिंदु की परीक्षा संविधान पीठ के फैसले के प्रकाश में की जानी है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***लक्ष्म ण बनाम महाराष्ट्र राज्य (2002) 6 एस.सी.सी. 710*** में दिया गया था। यह उच्चतम न्यायालय को संदर्भित एक मामला था जिसमें यह प्रश्न उठा कि चिकित्सक का यह प्रमाणपत्र कि मरीज होश में है, किंतु उस समय उसकी मानसिक अवस्था के संबंध में प्रमाणन नहीं है, तो क्या ऐसी स्थिति में मृत्युकालीन कथन को अस्वीकार्य मान लिया जाएगा और मजिस्ट्रेट की संतुष्टि (जो कथन दर्ज कर रहा था) कि घायल व्यक्ति कथन के समय स्वस्थ मानसिक अवस्था में था, क्या यह धारणा क़ानून की सही व्याख्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने समग्र प्रकरण पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि सामान्यतः न्यायालय को यह संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए कि मृत व्यक्ति मृत्युकालीन कथन देने की स्वस्थ मानसिक स्थिति में था, चिकित्सकीय राय पर निर्भर होना पड़ता है। परंतु, जब प्रत्यक्षदर्शी यह प्रमाणित करते हैं कि मृतक कथन देने के समय सचेत एवं स्वस्थ मानसिक अवस्था में था, तब चिकित्सकीय प्रमाण महत्त्वहीन हो जाता है। साथ ही, मात्र इस आधार पर कि चिकित्सक ने मानसिक स्थिति का प्रमाणपत्र नहीं दिया, यह नहीं कहा जा सकता कि कथन अस्वीकार्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि मृत्युकालीन कथन मौखिक या लिखित हो सकता है तथा अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त इशारा, संकेत, या किसी भी रूप में, यदि वह निश्चयात्मक व स्पष्ट हो, स्वीकार्य होगा। यह भी कहा गया कि विधि में कोई ऐसा अनिवार्य प्रावधान नहीं है कि मृत्युकालीन कथन अनिवार्यतः मजिस्ट्रेट द्वारा ही लिया जाए; और यदि ऐसा कथन मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलेखित किया जाता है, तो भी कोई विशेष वैधानिक रूपरेखा अनिवार्य नहीं है। अतः, ऐसे कथन को कितना प्रमाणिक या महत्वपूर्ण माना जाए, यह प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मुख्य रूप से आवश्यक यह है कि जो व्यक्ति मृत्युकालीन कथन दर्ज कर रहा है, उसे इस बात से संतुष्ट यह विश्वास होना चाहिए कि मृतक कथन देते समय स्वस्थ मानसिक स्थिति में था। जहाँ मजिस्ट्रेट की गवाही द्वारा यह सिद्ध हो जाता है कि कथानकर्ता (घायल या मृतक) बिना चिकित्सक द्वारा परीक्षा के भी कथन देने के लिए मानसिक रूप से सक्षम था, तब भी उस कथन को अपनाया जा सकता है, बशर्ते अंतिम रूप से न्यायालय उसे स्वेच्छिक और सत्य मान ले। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना है कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

चिकित्सक द्वारा प्रमाणपत्र देना केवल एक सावधानी का नियम है, आवश्यक शर्त नहीं, और इसलिए कथन की स्वैच्छिकता और सत्यता अन्य प्रकार से भी स्थापित की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश का उत्तर इस प्रकार दिया कि "चिकित्सीय प्रमाणन मौजूद नहीं है कि घायल व्यक्ति कथन देते समय स्वस्थ मानसिक स्थिति में था, के आभाव में केवल मजिस्ट्रेट की इस बात की व्यक्तिगत संतुष्टि को स्वीकार करना, जिसमें उसने घायल की मानसिक स्थिति को ठीक बताया, विधि की सही व्याख्या नहीं है।"

(14) यह सत्य है कि चिकित्सक का प्रमाणपत्र दिनांक 26.11.2000 को रात्रि 8:00 बजे दिया गया था और मृत्युकालीन कथन दिनांक 27.11.2000 को दर्ज की गई थी तथा दिनांक 27.11.2000 को कोई नया प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया था, परंतु मात्र इस आधार पर कि मृत्युकालीन कथन दर्ज करते समय कोई प्रमाणपत्र नहीं लिया गया, मृत्युकालीन कथन को अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता। यदि मृत्युकालीन कथन दर्ज करने वाला व्यक्ति इस बात से संतुष्ट था कि कथनकर्ता ऐसी स्थिति में था कि वह मृत्युकालीन कथन दे सकता है, तो ऐसी कथन को सत्य और सही माना जा सकता है एवं उस पर भरोसा किया जा सकता है। यदि हम पी.एस. टोप्पो (अ.सा.-6) की गवाही पर गौर करें, तो बचाव पक्ष द्वारा मृतक की मानसिक स्थिति ठीक न होने के संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। केवल प्रतिपरीक्षा में यह कहा गया है कि कथन दर्ज करते समय प्रदर्श.-पी/9 (मृत्युकालीन कथन) में चिकित्सक का कोई प्रमाणपत्र नहीं लिया गया था जिसे उसने स्वीकार भी किया, किंतु उसने यह भी जोड़ा कि पूर्व तिथि का प्रमाणपत्र (प्रदर्श.-पी/8) था। निःसंदेह वह प्रमाणपत्र अभियोजन के लिए सहायक नहीं था। लेकिन, यदि कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा मृतक की मानसिक स्थिति को लेकर कोई प्रश्न नहीं उठाया गया था, तो मात्र इस आधार पर कि नया प्रमाणपत्र नहीं था, इसलिए मृत्युकालीन कथन संदेहास्पद है, को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, प्रतिपरीक्षा के कंडिका 5 में, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट ने अस्वीकार किया कि उन्होंने कथन का सारांश लिखा था। बल्कि, उन्होंने कहा कि मृतक से भिन्न-भिन्न प्रश्न उन्होंने नहीं पूछे थे, बल्कि केवल एक ही प्रश्न पूछा था। उन्होंने आगे कहा कि मृतक स्वयं ही कथन करता गया और उन्होंने वही लिख दिया। मृतक की यह आचरण दर्शाता है कि वह उस समय मानसिक रूप से स्वस्थ एवं सामान्य अवस्था में था। जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट हो गए कि मृतक मानसिक रूप से ठीक है, उसके बाद ही उन्होंने मृतक का मृत्युकालीन कथन अभिलेखित किया, जिसे उपरोक्त आधार पर संदेहास्पद नहीं माना जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(15) जहाँ तक पक्षपोषण एवं झूठा फंसाने का प्रश्न है, यह आधार भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि मृतक अपनी पत्नी पर झूठा आरोप लगाने हेतु कि उसके किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध थे, किसी अन्य व्यक्ति का नाम भी ले सकता था, तो उसने निश्चित ही उस व्यक्ति को भी फंसा दिया होता, जो कि उसका पर-पुरुष था; परंतु मृतक ने ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कथन नहीं दिया, जो अपराध में उसकी संलिप्तता का संकेत करता हो। इसके अलावा, पूर्व में दिए गए दो कथन, जो पुलिस द्वारा दिनांक 26.11.2000 (प्रदर्श-पी/11) एवं दिनांक 27.11.2000 (प्रदर्श-पी/20) को दर्ज किए गए, उनमें मृतक ने समान कथन पुलिस को बताया था। यह आचरण दर्शाता है कि उसने वही सत्य कहा, जो उसके घर में घटित हुआ था।

(16) प्रकरण की समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार हम मृत्युकालीन कथन को सत्य एवं वास्तविक स्वीकार करते हैं, तथा विवेचना के दौरान हम पाते है कि मृत्युकालीन कथन के आधार पर दी गई दोषसिद्धि वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में स्थिर रखा जा सकता है।

(17) फलस्वरूप, अपील असफल होती है, यह खारिज किए जाने योग्य है तथा तदनुसार खारिज की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
एल.सी.भादू
न्यायाधीश

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Ritruaj Burman